KRISHI VIGYAN KENDRA, DHOLPUR
(SRI KARAN NARENDRA AGRICULTURE UNIVERSITY, JOBNER)
RIICO INDUSTRIAL AREA, ONDELA ROAD, DHOLPUR
RAJASTHAN – 328001 Phone – 05642-240457
(M) 9479527300 (P)
Email-pc.kvk.dholpur@sknau.ac.in

भाकृअनुप
ICAR

Dr. Jitendra Kumar
Senior Scientist and Head

No. F. ( )KVK Dholpur/SKNAU/2025/979

Dated: 10/09/25

खुली नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि विज्ञान केंद्र, धौलपुर फार्म पर वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए केंद्र पर आंवला के 40 पेड़ों के फलों की बिक्री हेतु खुली बोली द्वारा नीलामी की जावेगी। अतः इच्छुक व्यक्ति/फर्म दिनांक 18.09.2025 को सुबह 11:30 बजे फार्म पर उपस्थित होकर मौके पर बोली लगा सकते हैं। खुली नीलामी सूचना को संपूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

केंद्र पर उद्यान की यूनिट में फलदार पौधे हेतु खुली नीलामी की शर्तें निम्न प्रकार हैं। समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं हस्ताक्षर करें :–

1. बोलीदाता को रू. 200/– पंजीयन शुल्क के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि वापस देय नहीं होंगे।
2. बोली में सम्मिलित होने के लिए धरोहर राशि 1000/– रू. नकद जमा कर नीलामी में भाग ले सकते हैं। असफल निविदादाता की धरोहर राशि संपूर्ण कार्य के निष्पादन के उपरांत वापस लौटा दी जाएगी एवं सफल निविदादाता की धरोहर राशि का समायोजन कर लिया जाएगा।
3. बगीचा के फलों के पौधों की सरकारी बोली रू. 25000/– है। उच्चतम बोलीदाता को बोलीराशि की 50 प्रतिशत राशि मौके पर ही जमा करानी होगी एवं शेष राशि जमा कराने के पश्चात् ही आंवलों के फलों को तोड़ सकेगा।
4. बोलीदाता को बोली लगाने हेतु स्वयं का आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
5. ये ठेका 31.03.2026 तक या वर्ष 2025–26 के फलों की समाप्ति तक मान्य होगा।
6. स्वीकृत निविदादाता को सिंचाई संबंधी पम्पसेट, पाईप व अन्य सामान गिनकर लिखित में प्राप्त करना होगा व गिनकर वापस जमा कराना होगा व जिसकी चौकीदारी स्वयं ठेकेदार को ही करनी होगी।
7. बगीचे में लगे आंवले के पौधों में निराई, गुड़ाई, थांवले बनाना, सिंचाई व खाद उर्वरक डालने का कार्य स्वयं ठेकेदार को करना होगा।
8. बगीचे में लगे आंवले के पौधों की नीलामी उच्चतम बोलीदाता को ही दी जाएगी।
9. केंद्र पर यूनिट में कोई भी अन्य कार्य यूनिट प्रभारी एवं अद्योहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के बगैर नहीं किया जाएगा।
10. निराई, गुड़ाई, कटाई, दवा का छिड़काव/भूरकाव व अन्य संबंधित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुए निविदादाता को कराना होगा। प्रतिकूल मौसम होने पर कार्य राके जाने अथवा जारी रखने व परिस्थिति अनुसार निर्णय लेने का अधिकार उद्यान यूनिट प्रभारी को होगा।
11. फल उत्पादन में लगने वाले समस्त मजदूरी की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार की होगी।
12. श्रमिक क्षति होने की संपूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
13. किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद माननीय कुलपति महोदय, श्री कर्ण नरेद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर के आर्बीटेशन में प्रस्तुत करना होगा एवं उसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
14. किसी भी निविदा का बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकारी अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
15. बगीचा में लगे फल देने वाले आंवला के पेड़–पौधों में खाद व उर्वरक केंद्र द्वारा आवश्यकतानुसार उपलब्ध करा दिया जावेगा व उक्त कार्य में लगने वाले श्रमिक स्वयं निविदादाता को लगाने होंगे।

16. आंवला के बगीचे की संपूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
17. मैं निविदा की समस्त शर्तों से सहमत हूं तथा मैं उपरोक्त शर्तों पर कार्य करने के लिए तैयार हूं।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. श्रीमान निदेशक महोदय, प्रसार शिक्षा निदेशालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
3. प्रभारी सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.sknau.ac.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. कमेटी कन्वीनर / सदस्य / लेखाशाखा..................

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष